न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 54 / 2017

1 श्रवणी स्त्री सुरा।
2 महावीर पुत्र सुरा।
3 सांवरमल पुत्र सुरा।
4 बाबुलाल पुत्र सुरा।
5 रोहिताश पुत्र सुरा समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मोबसिंह वाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 प्रकाशी देवी पुत्री सुरा स्त्री सुरेश।
7 सुमन देवी पुत्री सुरा स्त्री राजेन्द्र समस्त जाति माली निवासीगण भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रूघाराम पुत्र जोरा।
2 बीरबल उर्फ सर्बता पुत्र जोरा।
3 सरदारा पुत्र जोरा।
4 चौथु पुत्र तेजा।
5 श्योपाल पुत्र तेजा।
6 नानगराम पुत्र चौथु।
7 बंशी पुत्र चौथु।
8 मनाराम पुत्र चौथु।
9 कैलाश पुत्र श्योपाल।
10 घनश्याम पुत्र श्योपाल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मोबसिंह वाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 उप पंजियक अधिकारी नीमकाथाना।
12 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
13 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले दावा अनुवानी रूघा बनाम श्रवणी आदि मुकदमा नम्बर 366/2012 दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 55/2017

1 श्रवणी स्त्री सुरा।
2 महावीर पुत्र सुरा।
3 सांवरमल पुत्र सुरा।
4 बाबुलाल पुत्र सुरा।
5 रोहिताश पुत्र सुरा समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मोबसिंह वाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 प्रकाशी देवी पुत्री सुरा स्त्री सुरेश।
7 सुमन देवी पुत्री सुरा स्त्री राजेन्द्र समस्त जाति माली निवासीगण भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 रूघाराम पुत्र जोरा।
2 बीरबल उर्फ सर्वता पुत्र जोरा।
3 सरदारा पुत्र जोरा।
4 चौथु पुत्र तेजा।
5 श्योपाल पुत्र तेजा।
6 नानगराम पुत्र चौथु।
7 बंशी पुत्र चौथु।
8 मनाराम पुत्र चौथु।
9 कैलाश पुत्र श्योपाल।
10 घनश्याम पुत्र श्योपाल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मोबसिंह वाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
11 उप पंजियक अधिकारी नीमकाथाना।
12 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
13 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 01.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले दावा अनुवानी रूघा बनाम श्रवणी आदि मुकदमा नम्बर 366/2012 दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 31.1.24

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 366/2012 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2015 व 01.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एंव पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 95, 98/2, 117/4, 117/5, 94/1 के संदर्भ में बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रकरण में प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 की आवेदन के साथ पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। तामील के अभाव में अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2015 व निर्णय दिनांक 30.03.2015 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना लिखित में आदेश दिये बिना ही वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूधा ने पटवारी हल्का आगवाडी व गिरदावर हल्का सिरोही से साजिश कर गोपनीय ढंग से दिनांक 11.05.2015 को विभाजन प्रस्ताव अपने दावे में वर्णित तथ्यों के अनुसार व अपनी इच्छानुसार तैयार करवाकर तहसीलदार नीमकाथाना को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने बिना अपना दिमाग लगाये ही काउन्टर साईन

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करके अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भेज दिया जिन्होंने अपीलान्टान से सारी कार्यवाही गोपनीय रखने की नियत से व अपीलान्ट को कार्यवाही की जानकारी होने से भय से वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूघा के आवेदन पर निश्चित तारीख पेशी दिनांक 21.07.2015 से पूर्व ही दिनांक 01.06.2015 को निर्णय व डिक्री जारी की है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने बटवारा प्रस्ताव गोपनीय ढग से तैयार किये है जो कि तैयार करने से पूर्व अपीलान्टान को कोई सूचना व नोटिस नही दिये। कानूनन बटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर तहसीलदार नीमकाथाना स्वयं द्वारा तैयार किया जाना कानूनन आवश्यक थे मौका कमिश्नर अर्थात तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अपना अधिकार अधिनस्थ कर्मचारियों को देने का कोई अधिकार नहीं है अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा तैयार किये गये बटवारा प्रस्ताव पर निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित करने में गलती की है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही अपना निर्णय व डिक्री विरूद्ध कानून पारित की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय दिनांक 01.06.2015 का है। अपील 03.07.2017 को पेश की गई है। अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। देरी का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार तामील के उपरांत अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री का राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक तामील नहीं करवाई गई है। प्राथमिक डिक्री जारी होने के उपरांत विभाजन प्रस्ताव हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी नहीं किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से होती है। इन विभाजन प्रस्ताव में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना को संबोधित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है। इन्हीं विभाजन प्रस्ताव पर काउंटर हस्ताक्षर तहसीलदार नीमकाथाना के अंकित है। यह तथ्य परस्पर विरोधाभाषी है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया एवं विभाजन के संदर्भ में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका में पत्रावली दिनांक 21.07.2015 को नियत थी। विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि से पूर्व दिनांक 01.06.2015 को पत्रावली पेशी में लेकर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में भी विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिम निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.1.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर